रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 2004/आषाढ़ 18, 1926

No. 289] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2004/ASADHA 18, 1926

महानिदेशक रक्षोपाय का कार्यालय

सूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2004

रक्षोपाय जाँच शुरू करने का नोटिस

[सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय ड्यूटी की पहचान एवम् मूल्य निर्धारण) नियम, 1997 के नियम 6 के अन्तर्गत]

विषय : सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची के चैप्टर शीर्ष 1108 के अन्दर आने वाले स्टार्च; चैप्टर 3505 के अन्दर आने वाले रूपान्तरित स्टार्च तथा चैप्टर 1903 के अन्तर्गत आने वाले मैनलॉक (कसावा, टेपिओका) आधारित सागो के आयात से संबंधित रक्षोपाय जाँच शुरू करना।

सा.का.नि. 443(अ).—तमिलनाडु के किसानों एवं किसान संघों तथा तमिलनाडु सागो एवम् स्टार्च मैन्युफैक्चरर्स कल्याण संघ(टी ए एस एस एम ए), सलेम द्वारा दायर अभ्यावेदन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधोहस्ताक्षरी को भेजा गया है, जिसमें, साथ-साथ, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची के चैप्टर शीर्ष 1108 के अन्दर आने वाले स्टार्च; चैप्टर 3505 के अन्दर आने वाले रूपान्तरित स्टार्च तथा चैप्टर 1903 के अन्तर्गत आने वाले मैनलॉक (कसावा, टेपिओका) आधारित सागो के आयात पर रक्षोपाय ड्यूटी लगाने का अनुरोध किया गया है। अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया है कि उपर्युक्त मदों के बढ़े हुए आयात से घरेलू उत्पादकों पर गम्भीर चोट पड़ी है और तत्काल रक्षोपाय ड्यूटी लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. स्टार्च, रूपान्तरित स्टार्च तथा मैनलॉक (कसावा, टेपिओका) आधारित सागो का भारत में आयात प्रमुखत: आस्ट्रेलिया, चिली, चीन जन गणराज्य, फिनलैण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, होंगकोंग, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नीदरलैंड, थाइलैण्ड, यू एस ए, तथा वियतनाम से होता है। स्टार्च का आयात वर्ष 2000-2001 में 700 मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2003-04 में लगभग 5000 मीट्रिक टन हो गया है। इसी प्रकार, सागो के आयात में वर्ष 2000-01 में 3568 एम टी से वर्ष 2003-2004 में लगभग 4000 एम टी की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है तथा रूपान्तरित स्टार्च का आयात जो वर्ष 2000-01 में 305 एम टी था 2003-04 में बढ़कर 2000 एम टी हो गया।

3. अभ्यावेदन की जाँच की गई। चूँकि भारत में स्टार्च, रूपान्तरित स्टार्च तथा सागो के उत्पादकों में कथित रूप से 700 लघु विनिर्माता आते हैं, उपर्युक्त संघों द्वारा दायर अभ्यावेदन को घरेलू उद्योग की ओर से दायर मानकर विचार किया गया है। प्रथम दृष्ट्या, यह प्रतीत होता है कि स्टार्च, रूपान्तरित स्टार्च तथा मैनलॉक (कसावा, टेपिओका) आधारित सागो के भारत में आयात से स्टार्च, रूपान्तरित स्टार्च तथा मैनलॉक (कसावा, टेपिओका) आधारित सागो के घरेलू उत्पादकों को गम्भीर चोट पहुंची है/गम्भीर चोट पहुँचने का खतरा है तथा तदनुसार इस नोटिस के माध्यम से जाँच शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

4. सभी इच्छुक पार्टियां अपने विचारों से 16 अगस्त, 2004 तक निम्नलिखित को अवगत करा सकती हैं :—

महानिदेशक (रक्षोपाय)
कमरा सं.–139,
सी.आर. बिल्डिंग, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली–110002
भारत

5. सभी ज्ञात इच्छुक पार्टियों को अलग से भी लिखा जा रहा है।

6. जाँच हेतु, कोई अन्य पार्टी जो इच्छुक पार्टी के रूप में विचार करवाना चाहती है, अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकती है ताकि यह इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 21 दिन के भीतर महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास पहुँच जाये।

[फा. सं. एस जी/आई एन वी/1/2004]

लखिन्दर सिंह, महानिदेशक

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF SAFEGUARDS

NOTICE

New Delhi, the 7th July 2004

Notice of Initiation of a Safeguard Investigation

[Under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safequard Duty) Rules 1997]

Sub : Initiation of Safeguard Investigation concerning imports of Starch falling under Chapter Heading 1108; Modified Starches falling under Chapter 3505 and Manloc (Cassava, Tapioca) based Sago falling under Chapter 1903 of the First Schedule under the Customs Tariff Act, 1975

G.S.R. 443(E).—A representation filed by the Farmers & Farmers Association of Tamil Nadu and Tamil Nadu Sago and Starch Manufacturers Welfare Association (TASSAMA), Salem inter-alia requesting imposition of Safeguard Duty on the imports of Starch falling under Chapter Heading 1108; Modified starches falling under Chapter 3505 and Manloc (Cassava, Tapioca) based Sago falling under Chapter 1903 of the First Schedule under the Customs Tariff Act, 1975 has been forwarded by the Ministry of Finance, Government of India to the undersigned. The representation alleges serious injury caused to the domestic producers by the increased imports of items requests for an immediate imposition of Safeguard Duty.

2. Starch, Modified Starches and Manloc (Cassava, Tapioca) based Sago are imported into India mainly from Australia, Chile, People's Republic of China, Finland, France, Germany, Hong Kong, Italy, Japan, Korea RP, Malaysia, the Netherlands, Thailand, USA and Vietnam. Imports of Starch have increased from 700 MT in the year 2000-2001 to about 5000 MT in 2003-04. Similarly, imports of Sago has registered a marginal increase from 3568 MT in 2000-01 to about 4000 MT in 2003-04 and imports of Modified Starches which was about 305 MT in 2000-01 increased to about 2000 MT in the year 2003-04.

3. The representation has been examined. Since the producers of Starch, Modified Starch and Sago of India reportedly comprise of more than 700 small manufacturers, the representation filed by the aforesaid Associations has been considered to have been made on behalf of the Domestic Industry. It appears that, prima-facie, the imports of Starch, Modified Starches and Manloc (Cassava, Tapioca) based Sago into India have caused/threatened to cause serious injury to the domestic producers of Starch, Modified Starches and Manloc (Cassava, Tapioca) based Sago and accordingly it has been decided to initiate an investigation through this notice.

4. All interested parties may make views known by 16th August, 2004 to:

The Director General (Safeguards),
Room No. 139,
C.R. Building, I.P. Estate,
New Delhi - 110002.
INDIA.

5. All known interested parties are also being addressed separately.

6. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its representation so as to reach the Director General (Safeguards) within 21 days from the date of this notice.

[F. No. SG/INV/1/2004]

LAKHINDER SINGH, Director General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.